10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

50

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी क्रमांक R-2359-III/14 सन्

हल्के तनय श्री गिरधारी पाल निवासी ग्राम मुडबारा तह. लवकुश नगर, जिला छतरपुर, म.प्र.

श्री आवेदक हल्के स्वयं
द्वारा आज दि. 1-8-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

......आवेदक

बनाम

1. मातादीन तनय रामचरण पाल
2. महेन्द्र तनय मातादीन पाल
3. देवीदीन तनय रामचरण पाल
4. रामपाल तनय मैयादीन पाल
5. अलखराम तनय रामधनी पाल
6. रामप्रकाश तनय छोटा पाल

हल्के

....समस्त निवासीगण ग्राम मुडबारा तह. लवकुश नगर, जिला छतरपुर, म.प्र.

7. मध्यप्रदेश शासन

....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1969

निगरानी आदेश विरुद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय लवकुश नगर के राजस्व प्रकरण कमांक 1069वी 121-2011-1 आदेश दिनांक आदेश दिनांक 09.05.2012 के आदेश दुखित होकर।

श्रीमान जी,

सेवा में आवेदक निम्न विषय आंकित निगरानी माननी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(26)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2359–तीन / 14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.2015	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 1069 / बी–121 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09–05–12 फोटोप्रति अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–5–12 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई । तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु आवेदक अधिवक्ता को तीन बार समय दिया गया परन्तु उनके द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी अपूर्ण होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	